रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3065] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 31, 2017/कार्तिक 9, 1939
No. 3065] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2017/KARTIKA 9, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2017

आय-कर

का.आ. 3497(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92घ की उपधारा (1) के परंतुक और धारा 286 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौबीसवां संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के भाग II में, नियम 10घ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"धारा 92घ की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन रखी जाने वाली और धारा 92घ की उपधारा (4) के निबंधनों में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना और दस्तावेज ।

10घक. (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का घटक अस्तित्व है,--

(i) यदि अंतर्राष्ट्रीय समूह, जिसका ऐसा व्यक्ति घटक अस्तित्व है, का समेकित समूह राजस्व, जैसा कि लेखांकन वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की समेकित वित्तीय विवरणियों में उपदर्शित है, पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक होता है ; और

(ii) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों का समग्र मूल्य,--

(अ) लेखांकन वर्ष के दौरान, लेखा बहियों के अनुसार पचास करोड़ रुपए से अधिक होता है, या

(आ) लेखांकन वर्ष के दौरान, लेखा बहियों के अनुसार अमूर्त संपत्ति संपत्ति के क्रय, विक्रय, अंतरण, पट्टा या उपयोग के संबंध में दस करोड़ रुपए से अधिक होता है,

अंतर्राष्ट्रीय समूह की निम्नलिखित सूचना और दस्तावेजों को रखेगा और उनका अनुरक्षण करेगा, अर्थात् :--

(क) अंतर्राष्ट्रीय समूह के सभी निकायों की उनके पते सहित सूची ;

(ख) संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों की विधिक प्रास्थिति और स्वामित्व ढांचे को दर्शित करने वाला चार्ट ;

(ग) लेखांकन वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समूह के कारबार का विवरण, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है,--

(i) कारबार या कारबारों की प्रकृति ;

(ii) ऐसे कारबार या कारबारों से लाभों के महत्वपूर्ण चालक ;

(iii) राजस्व के निबंधनों में, अंतर्राष्ट्रीय समूह के पांच सर्वाधिक बड़े उत्पादों या सेवाओं का विवरण और अन्य उत्पाद, जिसके अंतर्गत सेवाएं हैं, जो समेकित समूह राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक के बराबर हैं, की पूर्ति श्रृंखला का विवरण ;

(iv) अनुसंधान और विकास सेवा से भिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच किए गए महत्वपूर्ण सेवा इंतजामों की सूची और संक्षिप्त विवरण ;

(v) अंतर्राष्ट्रीय समूह के भीतर मुख्य सेवा प्रदाताओं की क्षमताओं का विवरण ;

(vi) सेवा लागत का आबंटन करने और अंत:समूह सेवाओं के लिए संदत्त की जाने वाली कीमतों का अवधारण करने के संबंध में अंतरण कीमत नीतियों के ब्यौरे ;

(vii) अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा प्रस्ताव किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं के लिए मुख्य भौगोलिक बाजारों की सूची और विवरण ;

(viii) अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक अस्तित्वों, जो समूह के राजस्व या आस्तियों या लाभ में कम से कम दस प्रतिशत का अंशदान कर रहे हैं, द्वारा किए जा रहे कृत्यों, नियोजित आस्तियों और लिए गए जोखिमों का विवरण ;

(ix) महत्वपूर्ण कारबार पुनर्गठन संव्यवहारों, अर्जन और अविनिधान का विवरण ;

(घ) अमूर्त संपत्ति, जिसके अंतर्गत प्रधान अनुसंधान और विकास सुविधाएं तथा उनके प्रबंधन हैं का अवस्थान भी है, के विकास, स्वामित्व और दोहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की समग्र रणनीति का विवरण ;

(ङ) अमूर्त संपत्ति के विकास और प्रबंधन में लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय समूह के सभी निकायों की उनके पत्ते सहित सूची ;

(च) अंतर्राष्ट्रीय समूह के स्वामित्व में सभी महत्वपूर्ण अमूर्त संपत्ति या अमूर्त संपत्ति समूहों की समूह निकायों, जो विधिमान्य रूप से ऐसे अमूर्त संपत्ति के स्वामी हैं, के नाम और पते सहित सूची ;

(छ) अमूर्त संपत्ति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण करारों की सूची और संक्षिप्त विवरण, जिसके अंतर्गत लागत संवितरण करार, प्रधान अनुसंधान सेवा करार और अनुज्ञप्ति करार हैं ;

(ज) अनुसंधान और विकास तथा अमूर्त संपत्ति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण कीमत नीतियों का विस्तृत विवरण ;

(झ) अंतर्राष्ट्रीय समूह के निकायों के बीच अमूर्त संपत्ति में महत्वपूर्ण हित के अंतरण का विवरण, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत विक्रय और क्रय करने वाले निकायों का नाम और पता तथा ऐसे अंतरण के लिए संदत्त प्रतिकर है ;

(ञ) अंतर्राष्ट्रीय समूह के वित्तपोषण करारों का संक्षिप्त विवरण, जिसके अंतर्गत शीर्षस्थ देनदार, जो आपस में संबंधित नहीं है, के नाम और पते ;

(ट) समूह निकायों की सूची, जो केंद्रीय वित्त पोषण कृत्यों का उपबंध कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उनके प्रचालन और प्रभावी प्रबंधन का स्थान है ;

(ठ) समूह निकायों के बीच वित्तपोषण करारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण कीमत नीतियों का विस्तृत विवरण ;

(ड) अंतर्राष्ट्रीय समूह की वार्षिक समेकित वित्तीय विवरण की प्रति ; और

(ढ) देशों के बीच आय के आबंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में विद्यमान एकपक्षीय अग्रिम कीमत करार और अन्य कर विनिर्णय निर्णयन की सूची और संक्षिप्त विवरण ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना की रिपोर्ट प्ररूप संख्या 3गङकक में होगी और इसे धारा 139 की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक् तारीख को या उससे पूर्व आयकर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण) को प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु लेखांकन वर्ष 2016-17 के लिए प्ररूप संख्या 3गङकक में सूचना को 31 मार्च, 2018 को या उससे पूर्व किसी भी समय प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(3) सूचना,--

(i) प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का घटक अस्तित्व है, प्ररूप संख्या 3गङकक के भाग क में प्रस्तुत की जाएगी, चाहे उपनियम(1) में यथा उपबंधित शर्तें पूरी होती हों अथवा नहीं;

(ii) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह का घटक अस्तित्व है, उन मामलों में, जिनमें उपनियम (1) में विहित शर्तों को पूरा किया जाता है, प्ररूप संख्या 3गङकक के भाग ख में प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) जहां किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के भारत में एक से अधिक निवासी घटक अस्तित्व हैं, वहां, यथास्थिति, उपनियम (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट या उपनियम (3) के खंड (i) में निर्दिष्ट सूचना किसी घटक अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा, यथास्थिति, उक्त रिपोर्ट या सूचना को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित किया गया है और जिसे पदाभिहित घटक निकाय द्वारा आयकर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण) को प्ररूप संख्या 3गङकख में सूचित किया गया है ।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट सूचना उपनियम (2) के अधीन रिपोर्ट फाइल करने के लिए यथाविनिर्दिष्ट सम्यक् तरीके से कम से कम 30 दिन पूर्व की जाएगी ।

(6) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), प्ररूप संख्या 3गङकक और प्ररूप संख्या 3गङकख में इलैक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा तथा वह इस नियम के अधीन प्रस्तुत की गई सूचना के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को बनाने और कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

(7) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना और दस्तावेज सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से आठ वर्ष के लिए रखे और अनुरक्षित किए जाएंगे ।

(8) समेकित समूह राजस्व के मूल्य की विदेशी मुद्रा में संगणना की विनिमय दर लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन को ऐसी मुद्रा की ताप अंतरण क्रय दर होगी ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "तार अंतरण क्रय दर" का वही अर्थ होगा, जो उसका नियम 26 के स्पष्टीकरण में है ;

(ख) 'लेखांकन वर्ष', 'समेकित वित्तीय विवरण' और 'अंतर्राष्ट्रीय समूह' पदों का वही अर्थ होगा जो उनका धारा 286 की उपधारा (9) में है ।

किसी अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना—

10घख. (1) धारा 286 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भारत में निवासी प्रत्येक घटक अस्तित्व, यदि उसका मूल अस्तित्व भारत में निवासी नहीं है, आयकर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण) को प्ररूप संख्या 3गङकग में निम्नलिखित से सूचित करेगा, अर्थात् :--

(क) क्या वह अंतर्राष्ट्रीय समूह का वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व है ; या

(ख) अंतर्राष्ट्रीय समूह के, यथास्थिति, मूल अस्तित्व या वैकल्पिक अस्तित्व के ब्यौरे और वह देश या राज्यक्षेत्र, जहां उक्त अस्तित्व निवासी हैं ।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना धारा 286 की उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए यथाविनिर्दिष्ट सम्यक् तारीख से कम से कम दो मास पूर्व की जाएगी ।

(3) भारत में निवासी, यथास्थिति, मूल अस्तित्व या वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाला अस्तित्व प्रत्येक लेखांकन वर्ष के लिए धारा 286 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट को प्ररूप संख्या 3गङकघ में महानिदेशक आयकर (जोखिम निर्धारण) को प्रस्तुत करेगा ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अस्तित्व से भिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूह का भारत में निवासी अस्तित्व उपनियम (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट को उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत करेगा यदि उसके मामले में धारा 286 की उपधारा (4) के उपबंध लागू होते हैं ।

(5) यदि अंतर्राष्ट्रीय समूह के उपनियम (3) में निर्दिष्ट अस्तित्व से भिन्न एक से अधिक अस्तित्व भारत में निवासी हैं तो उपनियम (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट को उस अस्तित्व द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिसे उक्त रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह, जिसे आयकर महानिदेशक (जोखिम निर्धारण) को प्ररूप संख्या 3गङकङ. में सूचित किया गया है, द्वारा पदाभिहित किया गया है ।

(6) धारा 286 की उपधारा (7) के प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह का कुल समेकित समूह राजस्व पांच हजार पांच सौ करोड़ रुपए होगा ।

(7) जहां अंतर्राष्ट्रीय समूह का समेकित विदेशी विवरणी में यथा दर्शित कुल समेकित समूह राजस्व विदेशी मुद्रा में है, ऐसे कुल समेकित समूह राजस्व के मूल्य की रूपए में संगणना करने के लिए विनिमय दर लेखांकन वर्ष के पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन को ऐसी मुद्रा की तार अंतरण क्रय दर होगी ।

(8) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली), आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) प्ररूप संख्या 3गङकग और प्ररूप संख्या 3गङकघ और प्ररूप संख्या 3गङकङ. में इलैक्ट्रानिक फाइलिंग के लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा तथा वह इस नियम के अधीन प्रस्तुत की गई सूचना के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतियों को बनाने और कार्यान्वियन के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "तार अंतरण क्रय दर" का वही अर्थ होगा, जो उसका नियम 26 के स्पष्टीकरण में है ;

(ख) 'लेखांकन वर्ष', रिपोर्ट किए जाने वाला अस्तित्व, 'समेकित वित्तीय विवरण', 'अंतर्राष्ट्रीय समूह' और 'रिपोर्ट किया जाने वाला लेखांकन वर्ष' पदों का वही अर्थ होगा जो उनका धारा 286 की उपधारा (9) में है ।"

3. मूल नियम में परिशिष्ट II में प्ररूप संख्या 3गङक के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"**प्ररूप संख्या 3गङकक**

[देखे नियम 10घक]

मास्टर फाइल

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92घ की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट

भाग-क

1. निर्धारिती का नाम
2. निर्धारिती का पता
3. निर्धारिती का स्थायी खाता संख्यांक
4. अंतर्राष्ट्रीय समूह का नाम, जिसका निर्धारिती घटक अस्तित्व है—
5. अंतर्राष्ट्रीय समूह का पता, जिसका निर्धारिती घटक अस्तित्व है—
6. लेखांकन वर्ष, जिसके लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है

7. भारत में प्रचालन कर रहे अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों की संख्या

8. मद संख्या 7 में सम्मिलित सभी घटक निकायों का नाम, स्थायी खाता संख्यांक और पता

क्रम सं.	अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों का नाम	अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों का स्थायी खाता संख्यांक	अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों का पता

भाग-ख

1. अंतर्राष्ट्रीय समूह के सभी निकायों की उनके पते सहित सूची—

क्रम सं.	नाम	पता

2. संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों की विधिक प्रास्थिति और स्वामित्व ढांचे को दर्शित करते हुए चार्ट

3. नियम 10घक के उपनियम (1) के खंड (ग) के अनुसरण में निम्नलिखित को अंतर्विष्ट करते हुए लेखांकन वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय समूह के कारबार का लिखित विवरण, अर्थात् :--

(i) कारबार या कारबारों की प्रकृति ;

(ii) ऐसे कारबार या कारबारों के लाभों के महत्वपूर्ण चालक ;

(iii) राजस्व के निबंधनों में अंतर्राष्ट्रीय समूह के पांच सबसे बड़े उत्पादों या सेवाओं और किन्हीं अन्य उत्पादों, जिसके अंतर्गत ऐसी सेवाएं हैं, जो समेकित समूह राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक के बराबर हैं, की पूर्ति श्रृंखला का विवरण ;

(iv) अनुसंधान और विकास सेवाओं से भिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच किए गए महत्वपूर्ण सेवा इंतजामों की सूची और संक्षिप्त विवरण ;

(v) अंतर्राष्ट्रीय समूह के भीतर मुख्य सेवा प्रदाताओं की क्षमताओं का विवरण ;

(vi) सेवा लागतों का आबंटन करने के लिए अंतरण कीमत नीतियां और अंत:समूह सेवाओं के लिए संदत्त की जाने वाली अवधारण कीमतें ;

(vii) अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा प्रस्ताव किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं के लिए मुख्य भौगोलिक बाजारों की सूची और विवरण ;

(viii) अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक निकायों, जो ऐसे समूह के राजस्व या आस्तियों या लाभ में कम से कम दस प्रतिशत का अंशदान कर रहे हैं, द्वारा किए जा रहे कृत्यों, आस्तियों और जोखिम विवरण ; और

(ix) महत्वपूर्ण कारबार पुनर्गठन संव्यवहारों, अर्जन और अविनिधानों का विवरण।

4. अमूर्त संपत्ति, जिसके अंतर्गत प्रधान अनुसंधान और विकास सुविधाएं तथा उनका प्रबंधन है, के विकास, स्वामित्व और दोहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह की समग्र रणनीति का विवरण ;

5. अमूर्त संपत्ति के विकास और अमूर्त संपत्ति के प्रबंधन में लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय समूह के अस्तित्वों की उनके पत्ते सहित सूची ;

क्रम सं.	अंतर्राष्ट्रीय समूह के अस्तित्व का नाम	अंतर्राष्ट्रीय समूह के घटक अस्तित्व का पता

6. समूह अस्तित्व, जो ऐसे अमूर्त संपत्ति के विधिमान्य स्वामी हैं, के नाम और पते के साथ अंतर्राष्ट्रीय समूह के स्वामित्व में सभी महत्वपूर्ण अमूर्त संपत्ति या अमूर्त संपत्ति के समूह की सूची--

क्रम सं.	अमूर्त संपत्ति/अमूर्त संपत्ति का समूह	उस अस्तित्व का नाम, जो विधिमान्य रूप से अमूर्त संपत्ति/ अमूर्त संपत्ति समूह का स्वामी है	अस्तित्व का पता

7. अमूर्त संपत्ति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समूह के सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण करारों की सूची और संक्षिप्त विवरण, जिसके अंतर्गत लागत संवितरण करार, प्रधान अनुसंधान सेवा करार और अनुज्ञप्ति करार हैं ;

8. अनुसंधान और विकास तथा अमूर्त संपत्ति के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण कीमत नीतियों का विवरण ;

9. अंतर्राष्ट्रीय समूह के निकायों के बीच अमूर्त संपत्ति में महत्वपूर्ण हित के अंतरण का विवरण, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत विक्रय और क्रय करने वाले निकायों का नाम और पता तथा ऐसे अंतरण के लिए संदत्त प्रतिकर है ;

10. अंतर्राष्ट्रीय समूह के वित्तपोषण करारों का विस्तृत विवरण, जिसके अंतर्गत शीर्षस्थ देनदार, जो आपस में संबंधित नहीं है, के नाम और पते ;

11. समूह निकायों की सूची, जो केंद्रीय वित्तपोषण कृत्यों का उपबंध कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उनके प्रचालन और प्रभावी प्रबंधन का स्थान है ;

12. समूह निकायों के बीच वित्तपोषण करारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समूह की अंतरण कीमत नीतियों का विस्तृत विवरण ;

13. अंतर्राष्ट्रीय समूह की वार्षिक समेकित वित्तीय विवरण की प्रति ; और

14. देशों के बीच आय के आबंटन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में विद्यमान एकपक्षीय अग्रिम कीमत करार और अन्य कर विनिर्णयों की सूची और संक्षिप्त विवरण—

मैं, ……………………… श्री .... का पुत्र/पुत्री/पत्नी* घोषणा करता हूं कि मैं .... (निर्धारिती का नाम) .... की क्षमता (पदनाम) में सूचना प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं उक्त सूचना को प्रस्तुत करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं।

स्थान .... हस्ताक्षर**

तारीख .... घोषणाकर्ता का पता

घोषणाकर्ता का स्थायी खाता संख्यांक

टिप्पण 1 : *जो लागू न हो उसे काट दें।

** इस प्ररूप पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं, जो धारा 140 के अधीन आय-कर की विवरणी का सत्यापन करने के लिए सक्षम है।

प्ररूप सं0 3गङ.कख

(नियम 10घक देखें)

आयकर अधिनियम**,** 1961 की धारा 92घ की उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए अंतरराष्ट्रीय समूह के भारत में निवासी पदाभिहित घटक अस्तित्व द्वारा रिपोर्ट

1. पदाभिहित घटक अस्तित्व का नाम

2. पदाभिहित घटक अस्तित्व का पता

3. पदाभिहित घटक अस्तित्व का स्थायी लेखा संख्यांक

4. अंतरराष्ट्रीय समूह का नाम

5. अंतरराष्ट्रीय समूह के मूल अस्तित्व का नाम

6. अंतरराष्ट्रीय समूह के मूल अस्तित्व का पता

7. मूल अस्तित्व के निवास का देश

8. वह लेखा वर्ष**,** जिसके लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है-

मैं.. पुत्र/पुत्री/पत्नी* श्री .... यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि ....(निर्धारिती का नाम) के .... (पदाभिधान) की अपनी हैसियत से जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं/रही हूं और मैं उक्त जानकारी प्रस्तुत करने तथा उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं ।

स्थान: ....

हस्ताक्षर**

तारीख: ....

घोषणाकर्ता का पता

....

घोषणाकर्ता का स्थायी लेखा संख्यांक

टिप्पण: *जो लागू न हो, उसे काट दें ।

**यह प्ररूप धारा 140 के अधीन आय की विवरणी का सत्यापन करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए ।

प्ररूप सं. 3गङकग

[कृपया नियम 10घख देखें]

अंतर्राष्ट्रीय समूह, जिसका मूल अस्तित्व भारत में निवासी नहीं है, के भारत में निवासी घटक अस्तित्व द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 286 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सूचना

1. घटक अस्तित्व का नाम
2. घटक अस्तित्व का पता
3. घटक अस्तित्व का स्थायी खाता संख्यांक
4. अंतर्राष्ट्रीय समूह का नाम
5. अंतर्राष्ट्रीय समूह के मूल अस्तित्व का नाम
6. अंतर्राष्ट्रीय समूह के मूल अस्तित्व का पता
7. मूल अस्तित्व के निवास का देश
8. क्या अंतर्राष्ट्रीय समूह ने किसी वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व को मूल अस्तित्व के स्थान पर धारा 286 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित किया है— हां/नहीं
9. यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय समूह के वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का नाम और पता—
   (i) वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व का नाम
   (ii) पता
10. वैकल्पिक रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व के निवास का देश
11. रिपोर्ट योग्य लेखांकन वर्ष

मैं, ……………………… श्री .... का पुत्र/पुत्री/पत्नी* घोषणा करता हूं कि मैं .... (निर्धारिती का नाम) .... की क्षमता (पदनाम) में सूचना प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं उक्त सूचना को प्रस्तुत करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं ।

स्थान .... हस्ताक्षर**

तारीख .... घोषणाकर्ता का पता

घोषणाकर्ता का स्थायी खाता संख्यांक

टिप्पण 1 : *जो लागू न हो उसे काट दें ।

**इस प्ररूप पर उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं, जो धारा 140 के अधीन आय-कर की विवरणी का सत्यापन करने के लिए सक्षम है ।

प्ररूप सं0 3गड.कघ

[नियम 10घख देखें]

देश दर देश रिपोर्ट

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 286 की उपधारा (2) या उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए भारत में निवासी मूल अस्तित्व या अनुकल्पी रिपोर्ट करने वाले अस्तित्व या किसी अन्य घटक अस्तित्व, द्वारा रिपोर्ट

रिपोर्टकर्ता अस्तित्व का नाम	
रिपोर्टकर्ता अस्तित्व का स्थाई लेखा संख्यांक	
रिपोर्टकर्ता अस्तित्व का पता	
क्या रिपोर्टकर्ता अस्तित्व अंतरराष्ट्रीय समूह का मूल अस्तित्व समूह है	

भाग क: कर अधिकारिता द्वारा आय आबंटन, कर तथा कारबार क्रियाकलाप का अवलोकन

बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह का नाम : रिपोर्ट योग्य लेखा वर्ष : प्रयोग की गई करेंसी :										
कर अधिकारिता	राजस्व			आयकर से पहले लाभ (हानि)	संदत्त आयकर (नकद आधार पर)	प्रोद्भूत आयकर, रिपोर्ट योग्य लेखा वर्ष	कथित पूंजी	संचयित उपार्जन	कर्मचारियों की संख्या	नकद और नकद समतुल्यों से भिन्न मूर्त आस्तियां
	असंबद्ध पक्षकार	संबद्ध पक्षकार	योग							

भाग ख: प्रत्येक समुच्चयन प्रति कर अधिकारिता में सम्मिलित बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के सभी घटक अस्तित्वों की सूची

	बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह का नाम : संबंधित राज वित्तीय वर्ष :														
कर अधिकारिता	कर अधिकारिता में घटक अस्तित्व निवासी	संगठन या निगमन की कर अधिकारिता, यदि निवास की कर अधिकारिता से भिन्न हो		मुख्य कारबार क्रियाकलाप											
			अनुसंधान और विकास	विधारण या प्रबंध बौद्धिक संपदा	क्रय या उपापन	विनिर्माण या उत्पादन	विक्रय, विपणन या वितरण	प्रशासनिक प्रबंध और सहायक सेवाएं	असंबद्ध पक्षकारों के लिए सेवाओं का उपबंध	आंतरिक समूह वित्त	विनियमित वित्तीय सेवाएं	बीमा	शेयर धारण करना या अन्य साम्या लिखत	निष्क्रिय	अन्य
	1.														
	2.														
	3.														
	1.														
	2.														
	3.														

भाग ग: अतिरिक्त जानकारी

बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह का नाम:
रिपोर्ट योग्य लेखा वर्ष
कृपया कोई अतिरिक्त संक्षिप्त जानकारी या स्पष्टीकरण सम्मिलित करें जिसे आवश्यक समझा जाए या जो भाग क और भाग ख (उदाहरणत: डाटा का स्रोत) में दी गई अनिवार्य जानकारी के बोध को सुकर बनाएगा।

मैं.......................................पुत्र/पुत्री/पत्नी* श्री ....यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि ....(निर्धारिती का नाम) के ....(पदाभिधान) की अपनी हैसियत से जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं/रही हूं और मैं उक्त जानकारी प्रस्तुत करने तथा उसका सत्यापान करने के लिए सक्षम हूं।

स्थान:............... ....

हस्ताक्षर**

तारीख : ....

घोषणाकर्ता का पता

....

घोषणाकर्ता का स्थायी लेखा संख्यांक

टिप्पण: *जो लागू न हो, उसे काट दें।

**यह प्ररूप धारा 140 के अधीन आय की विवरणी का सत्यापन करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

टिप्पण 2- विशिष्ट अनुदेश

भाग क

1. "कर अधिकारिता" नामक स्तंभ में, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को ऐसी सभी कर अधिकारिताओं को सूचीबद्ध करना चाहिए, जिसमें बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) समूह के घटक अस्तित्व कर प्रयोजनों के लिए निवासी हैं। कर अधिकारिता को एक राज्य और साथ ही एक गैर राज्य अधिकारिता के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें राजवित्तीय स्वायत्तता है। कर प्रयोजनों के लिए किसी कर अधिकारिता में निवासी न होने वाले रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) द्वारा समझे गए बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) समूह में सभी घटक अस्तित्वों के लिए एक पृथक् पंक्ति सम्मिलित की जानी चाहिए। जहां घटक अस्तित्व एक से अधिक कर अधिकारिता में निवासी है, वहां लागू कर संधि सहबद्धता भंजक निवास की कर अधिकारिता का अवधारण करने के लिए लागू किया जाना चाहिए। जहां कोई लागू कर संधि विद्यमान नहीं है, वहां घटक अस्तित्व की रिपोर्ट प्रभावी प्रबंध के संघटक अस्तित्व के स्थान की कर अधिकारिता में की जानी चाहिए।

2. "राजस्व" शीर्ष के अधीन टैम्पलेट के तीन स्तंभों में, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम को निम्नलिखित सूचना की रिपोर्ट करनी चाहिए : (i) सहयुक्त उद्यमों के साथ संव्यवहारों से उत्पन्न सुसंगत कर अधिकारिता में बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के सभी घटक अस्तित्वों के राजस्वों की राशि (ii) स्वतंत्र पक्षकारों के साथ संव्यवहारों से उत्पन्न सुसंगत कर अधिकारिता में बहुराष्ट्रीय उद्यम समूह के सभी घटक अस्तित्वों के राजस्वों की राशि ;और (iii) (i) और (ii) का योग। राजस्वों में माल सूची, संपत्तियों, सेवाओं, स्वामिस्वों, हित, प्रीमियमों के विक्रय से प्राप्त राजस्व और कोई अन्य रकम सम्मिलित होनी चाहिए। राजस्वों में ऐसे अन्य घटक अस्तित्वों, जिन्हें करदाता के कर अधिकारिता में लाभांशों के रूप में माना जाता है, से प्राप्त संदायों को अपवर्जित किया जाना चाहिए।

3. "आयकर से पहले लाभ (हानि)" नाम स्तंभ के अधीन रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी के लिए आयकर से पूर्व लाभ (हानि) की राशि को रिपोर्ट करना चाहिए। आयकर से पहले लाभ(हानि) में सभी असाधारण आय और व्यय मदों को सम्मिलित करना चाहिए।

4. "संदत्त आयकर (नकद आधार पर)" नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी द्वारा सुसंगत राजवित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक रूप से संदत्त आयकर की कुल रकम की रिपोर्ट करनी चाहिए। संदत्त करों में निवास कर अधिकारिता में और सभी अन्य कर अधिकारिताओं में घटक अस्तित्व द्वारा संदत्त नकद

करों को शामिल करना चाहिए। संदत्त करों में घटक अस्तित्व को किए गए संदायों के संबंध में अन्य अस्तित्वों (सहयुक्त उद्यम और स्वतंत्र उद्यम) द्वारा कर विधारण सम्मिलित होना चाहिए। इस प्रकार यदि कंपनी क निवासी कर अधिकारिता क में कर अधिकारिता ख में हित उपार्जित करती है, तो कर अधिकारिता ख में विधारित कर की रिपोर्ट कंपनी क द्वारा की जानी चाहिए।

5. "प्रोद्‌भूत आयकर-रिपोर्ट योग्य लेखा वर्ष "नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी के रिपोर्ट करने के वर्ष के कराधेय लाभों या हानियों पर अभिलिखित प्रोद्‌भूत कर व्यय की राशि की रिपोर्ट करनी चाहिए। कर व्यय में रिपोर्ट योग्य लेखा वर्ष में केवल संक्रियाओं को उपदर्शित करना चाहिए और अनिश्चित कर दायित्वों के लिए आस्थगित करों या उपबंधों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए।

6. "कथित पूंजी "नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी की कथित पूंजी की राशि की रिपोर्ट करनी चाहिए। स्थायी स्थापनों के संबंध में कथित पूंजी की रिपोर्ट विधिक अस्तित्व द्वारा, जिसका वह स्थायी स्थापन है, रिपोर्ट तब तक नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि विनियामक प्रयोजनों के लिए स्थायी स्थापन कर अधिकारिता में पूंजी अपेक्षा परिभाषित न की जाए।

7. "संचित उपार्जन "नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को वर्ष के अंत में सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी के कुल संचित उपार्जनों की राशि की रिपोर्ट करनी चाहिए। स्थायी स्थापनों के संबंध में, संचित उपार्जनों की उस विधिक अस्तित्व द्वारा रिपोर्ट की जानी चाहिए, जिसका वह स्थायी स्थापन है।

8. "कर्मचारियों की संख्या " नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी के पूर्णकालिक समतुल्य (एफटीई) पर कर्मचारियों की कुल संख्या की रिपोर्ट करनी चाहिए। कर्मचारियों की संख्या वर्ष के लिए औसत रोजगार स्तरों के आधार पर या संगतत: अनुप्रयुक्त संपूर्ण कर अधिकारिता के किसी अन्य आधार पर और वर्षानुवर्ष की रिपोर्ट की जा सकेगी। इस प्रयोजन के लिए घटक अस्तित्व की मामूली प्रचालन क्रियाकलापों में भाग लेने वाले स्वतंत्र संविदाकारों की कर्मचारी के रूप में रिपोर्ट की जा सकेगी। कर्मचारियों की संख्या का युक्तियुक्त पूर्णांकन या अनुमान अनुज्ञेय है। परंतु यह तब, जबकि ऐसा पूर्णांकन या अनुमान पूरी विभिन्न कर अधिकारिताओं में कर्मचारियों के सापेक्ष वितरण को तात्विक रूप से विरूपित नहीं करता है। संगत दृष्टिकोण वर्षानुवर्ष और पूरे अस्तित्वों में लागू किया जाना चाहिए।

9. "नकद और नकद समतुल्यों से भिन्न पूर्त आस्तियां " नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए सभी घटक अस्तित्व निवासी की पूर्त आस्तियां का शुद्ध बही मूल्य की राशि की रिपोर्ट करनी चाहिए। स्थायी स्थापनों के संबंध में आस्तियों की उस कर अधिकारिता के संदर्भ द्वारा रिपोर्ट की जानी चाहिए, जिसमें स्थायी स्थापन स्थित है। इस प्रयोजन के लिए मूर्त आस्तियों में नकद या नकद समतुल्य, अमूर्त या वित्तीय आस्तियां सम्मिलित नहीं हैं।

भाग ख

10. "कर अधिकारिता में घटक अस्तित्व निवासी "नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को कर अधिकारिता दर कर अधिकारिता आधार पर और विधिक अस्तित्व नाम से उन बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) समूह के सभी घटक अस्तित्व, जो सुसंगत कर अधिकारिता में कर प्रयोजनों के लिए निवासी हैं, को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। तथापि स्थायी स्थापनों के संबंध में, जैसा ऊपर कहा गया है, स्थायी स्थापन उस कर अधिकारिता के संदर्भ द्वारा सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जिसमें वह स्थित है। विधिक अस्तित्व, जिसका वह स्थायी स्थापन है, को नोट किया जाना चाहिए (उदाहरणार्थ एक्स वाई जेड कार्प- कर अधिकारिता एपीई)

11. . "संगठन या निगमन (इनकार्पोरेशन) की कर अधिकारिता, यदि निवास की कर अधिकारिता से भिन्न हो "नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को उस कर अधिकारिता के नाम की रिपोर्ट करनी चाहिए, जिसकी विधियों के अधीन बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) का घटक अस्तित्व संगठित किया जाता है या निगमित किया जाता है, यदि वह निवास की कर अधिकारिता से भिन्न है।

12. "मुख्य कारबार क्रियाकलाप (क्रियाकलापों) "नामक स्तंभ के अधीन, रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) को एक या अधिक समुचित बाक्सों को टिक करके सुसंगत कर अधिकारिता में घटक अस्तित्व द्वारा किए गए मुख्य कारबार क्रियाकलाप (क्रियाकलापों) की प्रकृति का अवधारण करना चाहिए। इस स्तंभ में, यदि रिपोर्टकर्ता बहुराष्ट्रीय उद्यम (एमएनई) 'अन्य 'का विकल्प चुनता है तब इससे "भाग ख : अतिरिक्त जानकारी "भाग में घटक अस्तित्व के क्रियाकलाप की प्रकृति को विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा की जाएगी।

प्ररूप सं0 3गड.कड.

(नियम 10घख देखें)

आयकर अधिनियम**,** 1961 की धारा 286 की उपधारा (4) के परंतुक के प्रयोजनों के लिए अंतरराष्ट्रीय समूह की ओर से सूचना

1. अंतरराष्ट्रीय समूह का नाम

2. अंतरराष्ट्रीय समूह के मूल अस्तित्व का नाम

3. अंतरराष्ट्रीय समूह के मूल अस्तित्व का पता

4. आयकर अधिनियम**,** 1961 की धारा 286 की उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित घटक अस्तित्व का नाम –

5. आयकर अधिनियम**,** 1961 की धारा 286 की उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पदाभिहित घटक अस्तित्व का पता –

6. पदाभिहित घटक अस्तित्व का स्थायी लेखा संख्यांक

7. भारत में अंतरराष्ट्रीय समूह निवासी के सभी अन्य घटक अस्तित्वों के नाम**,** स्थायी लेखा संख्यांक और पते -

क्र.सं.	घटक अस्तित्व का नाम	स्थायी लेखा संख्यांक	पता

मैं... पुत्र/पुत्री/पत्नी* श्री .... यह घोषणा करता हूं/करती हूं कि ....(निर्धारिती का नाम) के .... *(*पदाभिधान*)* की अपनी हैसियत से जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं/रही हूं और मैं उक्त जानकारी प्रस्तुत करने तथा उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं।

स्थान*:* ....

....

हस्ताक्षर**

तारीख*:* ....

....

घोषणाकर्ता का पता

....

घोषणाकर्ता का स्थायी लेखा संख्यांक

टिप्पण*:* *जो लागू न हो, उसे काट दें।

**यह प्ररूप धारा 140 के अधीन आय की विवरणी का सत्यापन करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।"

[अधिसूचना सं. 92 /2017/फा. सं. 370142/25/2017-टीपीएल]

नीरज कुमार, अवर सचिव (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 979(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार उनमें अधिसूचना सा.का.नि.सं. 1221(अ) तारीख 5 अक्तूबर, 2017 द्वारा संशोधन किया गया था।